BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, GWALIOR

In the Matter of

Smt. Bhawna W/o Basant Kumar Soni
R/o: Sonisir Ki Haveli
1, Kaladewal Marg, Khargone (M.P) ..... **Appellant.**

Versus

State of Madhya Pradesh Through:
1. Collector of Stamps & Distt. Registrar, Khargone (M.P)

2. Sub Registrar, Registration Office, Khargone Distt-Khargone (M.P) ..... **Respondents**

Revision Petition Under Section 56(4) of Indian Stamp Act

Being aggrieved by the order dated 30-06-2014 passed by the Collector of Stamps. Khargone in revenue case No. 95/B-105/48-B/13-14 (Annexure-1), the appellant aforesaid begs to prefer this Revision petition on the following among other grounds. This Hon'ble Board has jurisdiction to entertain this revision appeal.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 309–III / 15 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–6–2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 5–2–2015 को लगभग 7 माह से भी अधिक समय पश्चात् प्रस्तुत की गई है । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 56 (4) के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । इस प्रकार इस न्यायालय में यह निगरानी 4 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण फाईल खो जाना एवं पहले वरिष्ठ अभिभाषक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश को चुनौती देने से सार्थक परिणाम नहीं निकलने एवं बाद में अन्य अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने की सलाह देना दर्शाया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसे आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 18–7–2014 को प्राप्त हो गई थी । विलम्ब का उपरोक्त दर्शाया गया कारण प्रथम दृष्टया सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है । अतः यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	